

भारतीय विद्युत नियम, 1956

विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण

संस्थापना का वर्ग	क्षमता	प्रत्येक निरीक्षण के लिये फीस (रु० में)	निरीक्षण की आवृत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
क- विद्युत प्रदायकर्ताओं, उपभोक्ताओं तथा विद्युत उत्पादनकर्ताओं की संस्थापनाएं.	(एक) उपभोक्ताओं की मध्यम दाब संस्थापनाएं -		उपभोक्ताओं की कृषि पम्प संस्थापनाओं के लिये 5 वर्ष में एक बार तथा अन्य के लिये वर्ष में एक बार.
	1. कृषि पम्प.	10	
	2. अन्य संस्थापनाएं.		
	10 अष्व शक्ति तक...	50	
	3. 10 अष्व शक्ति से अधिक और 50 अष्व शक्ति तक...	100	
	4. 50 अष्व शक्ति से अधिक...	200	
	(दो) उच्च तथा अति उच्च दाब संस्थापनाएं - (बूस्टर तथा केपेसिटर बैक सहित) तथा पावर स्टेपन्स/ जनरेटिंग सेट्स :-		
1. 25 किलो वाट तक ..	150		
2. 25 किलो वाट से अधिक और 100 किलो वाट तक...	500		
3. 100 किलोवाट से अधिक और 500 किलोवाट तक...	800		
4. 500 किलोवाट से अधिक और 1000 किलोवाट तक...	2000		
5. 1000 किलोवाट से अधिक और 5000 किलोवाट तक...	3000		
6. 5000 किलोवाट से अधिक और 10000 किलोवाट तक	6000		
7. 10000 किलोवाट से अधिक.	8000		
(ख) नई उच्च या अति उच्च दाब ओवरहेड लाईन.	प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिये.	200	
(ग)नियम 71 से 73 के अधीन आने वाली उच्च दाब संस्थापनाएं.	एक्स रे, निओन साइन आदि..	500	वर्ष में एक बार
(घ)सिनेमा तथा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थल ...	1. चलता फिरता (ट्रेवलिंग) सिनेमा या सार्वजनिक मनोरंजन के अस्थाई स्थान से भिन्न सिनेमा या थियेटर...	800	वर्ष में एक बार
(ङ)मद "ख" की लाईनों से भिन्न अन्य ओवर हेड लाईनें तथा सर्विस लाईनें..	2. चलता फिरता (ट्रेवलिंग) सिनेमा या अन्य सार्वजनिक मनोरंजन के अस्थाई स्थान..	400	वर्ष में दो बार
(च)नियम 87 के अधीन लाईनो का कासिंग.	प्रत्येक स्पान के लिये..	20	
(छ)नये उच्च दाब/ अति उच्च दाब केबल ओवरहेड	प्रत्येक कासिंग के लिये..	100	
	प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिये ...	200	
	प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिये.	50	

लाईनों को छोड़कर			
(ज) बहुमंजिला भवन.	प्रत्येक बहुमंजिला भवन के लिये..	1000	वर्ष में एक बार.
(झ) लिफ्ट संस्थापना.	प्रत्येक लिफ्ट संस्थापना के लिये	1000	वर्ष में एक बार.

टिप्पण:-

1. निरीक्षण फीस के प्रयोजन के लिये -

- (क) ऐसे जनरेटर तथा ट्रांसफार्मरों को जो कि एक ही धिराव में या एक दूसरे के पार्श्व में संस्थापित हों और जो सामान्यतः समानान्तर (पैरेलल) चलते हों, एक ही संस्थापना माना जायेगा और निरीक्षण फीस उनकी कुल क्षमता पर प्रभारित की जायेगी । किंतु ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर जो सामान्यतः समानान्तर (पैरेलल) नहीं चलते हैं या जो एक दूसरे के पार्श्व या एक ही धिराव में संस्थापित नहीं हैं उन्हें अलग अलग संस्थापना माना जायेगा ।
- (ख) जनरेटर और ट्रांसफार्मर से भिन्न वे उपस्कर जिनको विद्युत प्रदाय एक ही बस से तथा एक ही वोल्टता पर प्राप्त होता है और जो एक ही धिराव में या एक दूसरे के पार्श्व में संस्थापित हैं उनको एक ही संस्थापना माना जायेगा और निरीक्षण फीस उनकी कुल क्षमता पर प्रभारित की जायेगी किंतु वे उपस्कर जो भिन्न भिन्न बसों से या भिन्न भिन्न वोल्टता पर विद्युत प्राप्त करते हों या जो एक दूसरे के पार्श्व में या एक ही धिराव में संस्थापित नहीं हैं उन्हें अलग अलग संस्थापना माना जायेगा ।
- (ग) जहां कहीं भी मशीनरी या उपस्कर का इस प्रकार क्षमता निर्धारण किया गया हो, वहां किलोवाट के स्थान पर "किलोवोल्ट्स एम्पीयर्स" या बी.एच.पी. या के.वी.ए.आर. पढ़ा जायेगा ।
- (घ) शासन के वाटर वर्क्स, सीवेज पम्पिंग स्टेशन को निरीक्षण शुल्क से छूट प्रदान की जाती है ।

2. फीस का भुगतान -

- (क) फीस का भुगतान स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा शासकीय कोषालय में निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत किया जायेगा -
सिनेमा को छोड़कर संस्थापनाओं के लिये राजस्व शीर्ष .
- 0043-विद्युत पर कर तथा शुल्क
102-भारतीय विद्युत नियमों के अधीन फीस.

और

सिनेमा के लिये राजस्व शीर्ष.

0043-विद्युत पर कर तथा शुल्क
103-सिनेमाओं के बिजली संबंधी
निरीक्षण की फीस

और कोषालय का चालान मध्य प्रदेश शासन के विद्युत निरीक्षक को भेजा जायेगा ।

(ख) फीस का भुगतान नीचे दर्शाई गई तारीखों के पूर्व किया जायेगा -

- (1) ऊपर प्रवर्ग घ-2 के अधीन आने वाली संस्थापनाओं के सिवाय अन्य विद्यमान संस्थापनाओं के लिये फीस का भुगतान प्रत्येक वर्ष एक मई, के पूर्व किया जायेगा । प्रदायकर्ता की संस्थापनाओं के लिये फीस का भुगतान निरीक्षण के उपरांत जारी बिल के प्राप्त होने से एक माह के भीतर किया जायेगा ।
- (2) ऊपर घ-2 के अधीन आने वाली संस्थापनाओं के लिये संबंधित अर्धवार्षिक फीस का भुगतान एक मई तथा एक नवम्बर के पूर्व किया जायेगा । यदि उपर्युक्त तारीखों पर संस्थापना को उपयोग में न लाई जा रही हो तो प्रत्येक अर्ध वर्ष के लिये फीस का भुगतान संस्थापना का उपयोग करने के पूर्व किया जायेगा ।
- (3) ऐसी नई एच.टी.संस्थापनाएं या नए सिनेमा के लिये, जिसमें उनके परिवर्तन या परिवर्धन भी सम्मिलित हैं, फीस का भुगतान अग्रिम में किया जायेगा और कोषालय चालान विद्युत निरीक्षक को भेजा जायेगा जिसके साथ ऐसी संस्थापना के निरीक्षण तथा / या अनुमोदन के लिये आवेदन पत्र संलग्न होगा । प्रदायकर्ता की नवीन संस्थापनाओं के लिये निरीक्षण शुल्क का भुगतान टिप्पण 2 (ख) (1) के अनुसार किया जायेगा । ऐसी संस्थापनाओं के लिये फीस ऊपर दर्शाई गई दर से 50 प्रतिशत अधिक होगी ।
- (4) अन्य नई संस्थापनाओं जिनमें उनका परिवर्धन या परिवर्तन भी सम्मिलित है और मौसमी कारखानों के लिये फीस का भुगतान संस्थापनाओं को उपयोग में लाये जाने के पूर्व किया जायेगा ।

- (5) नीचे दिये गये टिप्पण 7 के अधीन अतिरिक्त निरीक्षण के लिये देय फीस का भुगतान प्रत्येक मामले में विद्युत निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पूर्व किया जायेगा।
- (6) प्रवर्ग ड के अधीन फीस का उदग्रहण केवल ऐसे प्रत्येक पष्चात्वर्ती निरीक्षण के लिये किया जायेगा जो विद्युत अधिनियम 2003 या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के भंग होने के कारण आवश्यक हो गया हो, एक ही पोल से ली जाने वाली प्रत्येक सर्विस लाईन की फीस अलग अलग देय होगी।
- (7) प्रवर्ग च के अधीन फीस उस व्यक्ति द्वारा अग्रिम में देय होगी जिसने कि निरीक्षण के लिये प्रार्थना की हो।
- (ग) यदि उपखंड (ख) में दर्शाई गई तारीख से पूर्व फीस का भुगतान नहीं किया जाता है तो देय फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- (घ) यदि निरीक्षण या अतिरिक्त निरीक्षण नहीं किया जाता है तो संगत फीस का समायोजन उस फीस के मद्दे किया जायेगा जो पष्चात्वर्ती वर्ष या अर्धवर्ष के लिये देय हो।
3. यदि किसी नई संस्थापनाओं का उपयोग किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम दो माहों के दौरान किया जाता हो तो संगत वार्षिक फीस के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उसका भुगतान उस वर्ष की, जिसमें कि फीस का भुगतान किया गया है, अल्प कालावधि के तथा साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष की पूर्ण कालावधि के लिये किया जा चुका है।
4. यदि किसी संस्थापना का निरीक्षण किये जाने के पूर्व ही उसे असंयोजित (डिस्कनेक्ट) कर दिया गया हो या जिसे हटा दिया गया (डिसमिस्ड) हो तो कोई फीस प्रभारित नहीं होगी।
5. यदि कोई मोटर या अन्य साधित्र, जिसे 15 दिन से अनधिक कालावधि के लिये, परीक्षण के तौर पर शक्ति प्रयोजनों के लिये संस्थापित किया गया हो तो कोई फीस प्रभारित नहीं होगी।
6. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये 'वर्ष' से अभिप्रेत है 1 अप्रैल से 31 मार्च का वित्तीय वर्ष।
7. ऊपर विहित की गई फीस ऊपर दर्शाई गई निरीक्षण की आवृत्ति के अनुसार प्रत्येक नियतकालिक निरीक्षण के लिये देय होगी। प्रथम या प्रारंभिक निरीक्षण के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उस कालावधि के लिये जिसमें कि निरीक्षण किया गया हो, नियतकालिक निरीक्षण है, स्वामी की प्रार्थना पर किया गया या विद्युत अधिनियम, 2003 या उनके अधीन बनाये गये नियमों या सिनेमा आटोग्राफ रुल्स एण्ड रेगुलेशन्स के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का भंग होने के कारण किये गये प्रत्येक निरीक्षण के लिये विहित फीस की आधी प्रभारित की जायेगी।